21/3/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप./प्राधि. पक्ष प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/264

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:43:07 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर अहकाम व हुक्म की जो तामील जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 110/22 दायर दिनांक:– 20–05–2022

GCMS:- 2022/264

1– श्योलाल पुत्र श्री कृष्णसिंह जाति बावरी निवासी 6 एफ डी एम –बी तहसील सूरतगढ

2– तीर्थसिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह जाति बावरी निवासी 6 एफ डी एम –बी तहसील सूरतगढ

3– वीरपाल कौर पुत्री कृष्ण सिंह पत्नी अशोक कुमार जाति बावरी साकिन 6 एफ डी एम –ए तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

4– रानी पुत्री कृष्ण सिंह पत्नी लक्ष्मणराम जाति बावरी साकिन 6 एफ डी एम –ए तहसील सूरतगढ

–––– प्रार्थीगण

बनाम

1–मोहन राम उर्फ मोहन सिंह पुत्र स्व0 इन्द्र सिंह उर्फ इन्द्रराम जाति बावरी निवासी 6 एफ डी एम –ए हाल आबाद रामसा की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ

2– कृष्ण सिंह पुत्र श्री मोहन राम उर्फ मोहन सिंह जाति बावरी निवासी 6 एफ डी एम –ए हाल आबाद रामसा की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ

3– चंगो बाई पुत्री मोहन राम उर्फ मोहन सिंह पत्नी मिठू जाति बावरी निवासी अरनीवाला डाबावाली कलां तहसील अबोहर पंजाब

4–रूडो पुत्री मोहनराम पत्नी पप्पू जाति बावरी निवासी नहर के पार , ईट भट्टो के नजदीक ढाणी, रावला तहसील रावला (फौत)

4/1– सतपाल पुत्र
4/1–मंगलराम पुत्र
4/3–नानकी पुत्री
} स्व0 रूडो (माता) व पप्पू (पिता) अकवाम बावरी निवासी नहर के पार, ईट भट्टो के नजदीक ढाणी रावला तहसील रावला जिला श्री गंगानगर

5– रामकौर पत्नी स्व0 इन्द्र सिंह उर्फ इन्द्रराम
6– अमरजीत सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रसिंह उर्फ इन्द्रराम
7– छिन्द्रपाल कौर पुत्री स्व0 इन्द्र सिंह उर्फ इन्द्रराम
} जाति बावरी निवासी रामसा की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ राज0

8– मुख्तयार कौर पुत्री स्व0 श्री इन्द्र सिंह उर्फ इन्द्रराम पत्नी अर्जन सिंह जाति बावरी निवासी हाल आबाद चक 59 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर राज0

9– वीरो पुत्री स्व0 इन्द्र सिंह उर्फ इन्द्रराम जाति बावरी निवासी हाल आबाद हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0

10– राजस्थान सरकार जरिये भू– प्रतिनिधि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

11– उप पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

12– करतार कौर पत्नी कृष्ण सिंह जाति बावरी साकिन हरनाम वाली ढाणी तहसील सूरतगढ

–––– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिकारी 1955

उपस्थित :–

1– श्री राकेश कुमार मनचन्दा , अभिभाषक प्रार्थीगण।

2– श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक अप्रार्थीगण स0 1,2,5 से 7, 9

3– श्री शिशपाल [illegible] अभिभाषकगण अप्रार्थीगण सं0 1,6,8

4– श्री राजवीर भादू अभिभाषक [illegible] 1

5– श्री भगवान [illegible] अभिभाषक [illegible] सं0 12

6– पेरोकार राज तहसीलदार [illegible] सूरतगढ ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:43:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

—:— **निर्णय** —:— दिनांकः— 21.03.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित । इस प्रकरण में पूर्व में तर्क सुने गये है । निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एवं वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188,व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 प्रस्तुत कर अपने पिता/ दादा / पड़दादा की सहकाश्त अंकित भूमि में हिन्दू सहदायी विधि के अन्तर्गत अपने हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि चक 6 एफ डी एम—बी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 75 की संयुक्त खाता स0 52/2 के प0न0 104/354 मु0न0 46 के किला न0 2 से 9, 14 से 16, 25 में 3.010 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी न0 1 के नाम 1/6 हिस्सा यानि 0.502 है0 में अप्रार्थी सं0 2 को 1/4 हिस्सा यानि 0.1255 है0 में से 3/4 हिस्सा यानि 0.09412 है0 ब.हि.ब. तथा अप्रार्थी न0 1 के नाम चक 6 एफ डी एम —बी के खाता सं0 78/73 के प0न0 104/354 मु0न0 46 के किला न0 1, 10 से 13, 17 से 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 में कुल 3.189 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी नं0 2 को 1/4 हिस्सा यानि 0.7972 है0 में से 3/4 हिस्सा यानि 0.5979 है0 भूमि अनके हको की घोषणा बतौर खातेदार कर खाता विभाजन करने व प्रार्थीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जा में हस्तक्षेप नही करने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे । वाद के साथ यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर वाद चलन के दौरान जैरवाद भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही किये जाने और मौका पर काबिज प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से मदाखलत बेजा नही किये जाने तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक को इकतरफा सुना जाकर प्रार्थीगण के शपथ—पत्र पर विश्वास करते हुए दिनांक 20—05—2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को वाके चक 6 एफ डी एम बी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की संयुक्त खाता सं0 52/2 में अंकित कुल 3.010 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक 6 एफ डी एम बी के खाता सं0 78/73 में अंकित कुल 3.189 है0 कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि को आगामी तारीख पेशी तक रहन व बेचान नही करने हेतु पाबन्द किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया प्रतिवादीगण की तरफा से विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए तथा प्रार्थना—पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना—पत्र विचारण के दौरान करतार कौर पत्नी कृष्णसिंह जाति बावरी साकिन हरनावाली ढाणी तहसील सूरतगढ ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 1 नियम 10 (2) सी पी सी मय शपथ—पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया कृष्ण सिंह की पत्नी होने से वाद ग्रस्त भूमि में हकदार होने से पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया , जिस पर अभिभाषक प्रार्थीगण ने कोई आपत्ति नही की , इसलिए प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया करतारकौर पत्नी कृष्णसिंह को पक्षकार बनाये जाने व लाल स्याही से दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तत्पश्चात बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 चक 6 एफ डी एम —बी के खाता सं0 45/35 के प0न0 104/354 मु0न0 46 के किला न0 2 से 9, 14 से 16, 25 में 3.010 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि प्रार्थीगण के दादा इन्द वल्द मली के नाम [illegible] के रूप में राजस्व रिकार्ड साबित है । जो उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान के नाम वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 75 चक 6 एफ डी एम —बी के खाता सं0 78/73 के प0न0 104/354 मु0न0 46 के किला न0 1, 10 से 13, 17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:43:07 IST
Reason: SelfAttested

से 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 में कुल 3.189 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा मोहनराम को बातैर बालिग पुत्र प्राप्त हुई । उक्त तमाम सम्पति हिन्दू सहदायी परिवार की सम्पति है। प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला बनता है। भूमि हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार विवाद प्रस्तुत होने पर विवादित सम्पति की वाद प्रस्तुति के दिनांक की स्थिति कानूनन व न्याय निर्णय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार वाद निर्णय तक बनाई रखी जानी उचित हैं । सम्बन्धित पक्षकारो द्वारा आंशिक सम्पति सहदायी स्वीकार की गई है। अप्रार्थी सं0 12 के पक्ष में उक्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश भी सिविल न्यायाधीश सूरतगढ द्वारा दिनांक 09–06–2022 को पारित किया गया है , जिसका अवलोकन करवाकर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर पूर्व में अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 20–05–2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक बढाये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी नं0 1 के अभिभाषक ने दौरोन बहस प्रार्थीगण के तथ्यों /तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वाके चक 6 एफ डी एम –बी के खाता सं0 52/2 में 3.010 है0 में अप्रार्थी न0 1 के नाम 1/6 हिस्सा अर्थात 0.502 है0 तथा खाता सं0 78/73 में 3.189 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड है। उक्त जैरवाद रकबा में प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 11 में अप्रार्थी नं0 1 के पुत्र अप्रार्थी नं0 2 को प्राप्त होने वाले हक/ हिस्सा में 3/4 हिस्सा का अनुतोष चाहा गया है । परन्तु जैर प्रकरण में दोनो खातो के समस्त रकबा पर एक तरफा स्थगन आदेश लिया गया है जो अनुतोष से अधिक तथा अन्य सहकाश्तकारो का बिना कोई अनुतोष के प्राप्त किया गया है तथा माननीय सिविल न्यायालय में जैरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय ने भी अप्रार्थी नं0 12 करतारकौर के अनुतोष तक स्थगन आदेश जारी किया गया है । उक्त प्रार्थना–पत्र में अन्य खाता सं0 78/73 बालिग पुत्र में आवटित भूमि इनकी स्वयं अर्जित है । अप्रार्थीगण अंकित खातेदार काश्तकार है । रिकार्ड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता । माननीय अपर न्यायालयो के न्यायिक दृष्टान्तो में प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुसार रिकार्डड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता । तथा प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये अनुतोष के आधार पर समस्त रकबा पर स्थगन जारी नही हो सकता । सुविधा व सन्तुलन एवं प्राथमिक रूप से मामला प्रार्थीगण का नही बनता तथा अप्रार्थीगण के द्वारा भी दौराने बहस अर्ज किया गया कि प्रार्थीगण के द्वारा अपने दादा अप्रार्थी न0 1 मोहनराम के नाम खातेदारी भूमि में अपने पिता को प्राप्त होने वाले हक व हिस्सा से अनुतोष चाहा गया है । जबकि खाता सं0 52/2 संयुक्त खाते में अप्रार्थी न0 1 को 0.502 है0 भूमि ही प्राप्त हुई है इसलिए प्रार्थीगण अन्य रकबा पर कोई भी हक व अधिकार पाने के अधिकारी नही है । इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अभिभाषकगण के तर्क सुनने के पश्चात तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अध्ययन व मनन करने के उपरान्त पाया कि प्रार्थीगण के द्वारा जैरवाद रकबा के खाता सं0 52/2 में 3.010 है0 भूमि में प्रार्थीगण के दादा अप्रार्थी नं0 1 को 0.502 है0 भूमि सहदायी भूमि प्राप्त होती है । तथा इसी चक का अन्य खाता सं0 78/73 में 3.189 है0 भूमि अप्रार्थी न0 1 को आवटन शुदा है जिसे प्रार्थीगण के द्वारा भी स्वीकार किया गया है । परन्तू प्रार्थीगण के हक व अधिकार वाद–पत्र. में निर्णित होने है जिसमें प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये अनुतोष चक 6 एफ डी एम–बी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 75 की संयुक्त [illegible] 52/2 में 3.010 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी [illegible] 0.502 है0 में अप्रार्थी सं0 2 को 1/4 हिस्सा यानि 0.1255 है0 में से 3/4 हिस्सा यानि 0.09412 है0 ब.हि.ब. तथा अप्रार्थी न0 1 के नाम चक 6 एफ डी एम –बी के खाता सं0 78/73 में कुल 3.189 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:43:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी नं0 2 को 1/4 हिस्सा यानि 0.7972 है0 में से 3/4 हिस्सा यानि 0.5979 है0 भूमि हिस्सा होना बताया गया है । उक्त जैरवाद रकबा में प्रार्थीगण का विवाद अप्रार्थी नं0 1 के पुत्र अप्रार्थी नं0 2 के हक व हिस्सा 1/4 पर होने के कारण वाद के दौरान हस्तान्तरण किया जाता है तो मुकदमें बाजी बढेगी तथा माननीय सिविल न्यायालय में जैरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय ने भी अप्रार्थी नं0 12 करतारकौर के अनुतोष तक स्थगन आदेश जारी किया गया है । अन्य रकबा पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई भी अनुतोष नही होने तथा अप्रार्थीगण खातेदार कृषक होने के कारण उनके हक व अधिकारो पर पाबन्दी लगाना न्याय संगत नही है । माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर व उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल सिद्धान्त सपठित धारा 52 सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र में अपने मांगे गये अपने हक व हिस्सा को मध्यनजर रखते हुये अप्रार्थी नं0 1 के नाम जैरवाद रकबा में प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी नं0 2 को प्राप्त होने वाले 1/4 हक हिस्सा तक स्थगन आदेश दिया जाना उचित समझते है ।

उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वाके चक 6 एफ डी एम—बी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 75 की संयुक्त खाता स0 52/2 में 3.010 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी न0 1 के नाम 1/6 हिस्सा यानि 0.502 है0 में 1/4 हिस्सा यानि 0.1255 है0 तथा अप्रार्थी न0 1 के नाम चक 6 एफ डी एम —बी के खाता सं0 78/73 में कुल 3.189 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा यानि 0.7972 है0 को रहन बैय हस्तान्तरण नही करने हेतू पाबन्द किया जाता है । उक्त खाता सं0 52/2 व 78/73 में शेष रकबा पर अप्रार्थीगण अपने हक व अधिकारो का प्रयोग करने को स्वतन्त्र है तथा दिनांक 20—05—2022 को एकतरफा तौर पर जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21·03·2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संदीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:43:07 IST
Reason: SelfAttested